

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 105 सन 2022

अनवान :-

1. पप्पुखां पुत्र विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. ओमखां पुत्र विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. महेन्द्रखां पुत्र विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. श्योक्त अली पुत्र विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. अल्का नाबालिग पुत्री राकेश जरिये संरक्षिका माता सकिना पत्नी राकेश जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. सकिना पत्नी राकेश जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. साहिल नाबालिग पुत्र राकेश जरिये संरक्षिका माता सकिना पत्नी राकेश जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. निर्मला पुत्री विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. बोगी पत्नी विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. शकुन्तला पुत्री विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. बसकरो पत्नी सुमन खां जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
11. सूर्या पुत्री विरबल जाति ढाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 11/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 224/219 की कुल 11.025 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता विरबल पुत्र हजारीराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता विरबल पुत्र हजारी के देहान्त होने एवं विरबल पुत्र हजारी के पुत्र राकेश के देहान्त होने पर वादी भूमि आपके वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा वर्तमान में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की बहने/माता/भाई की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पत्नी /पुत्रवधु है प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया

जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जजिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता बिरबल पुत्र हजारी के नाम से दर्ज थी वादी के पिता बिरबल के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिरसा की भूमि को अपने भाई/पुत्र वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिरसा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किरसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 12 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सवुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 224/219 की कुल 11.025 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी के पिता बिरबल पुत्र हजारीराम के नाम से दर्ज थी वादी के पिता बिरबल पुत्र हजारी के देहान्त होने एवं बिरबल पुत्र हजारी के पुत्र राकेश के देहान्त होने पर वादी भूमि अपने वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई तथा वर्तमान में वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 वादी की बहने/माता/भाई की पत्नी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/पत्नी /पुत्रवधु है प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.वी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सवुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जबरारसर के खाता संख्या 224/219 की कुल 11.025 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज बिरबल पुत्र हजारीराम के नाम से दर्ज थी बिरबल एवं उसके पुत्र कृष्ण के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

उपस्थित अधिकारी
बोहर

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 224/219 की कुल 11.025 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का नाम कलमजन किया जाकर 4/5 हिस्सा भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के एवं 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तर्तीब तकमील जाब्ता दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्दर 20, कल 6-7 जाळा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. पम्पुखां पुत्र बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. ओमखां पुत्र बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
2. महेन्द्रखां पुत्र बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
3. श्योकत अली पुत्र बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
4. अल्का नाबालिग पुत्री राकेश जरिये संरक्षिका माता सकिना पत्नी राकेश जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
5. सकिना पत्नी राकेश जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
6. साहिल नाबालिग पुत्र राकेश जरिये संरक्षिका माता सकिना पत्नी राकेश जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
7. निर्मला पुत्री बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
8. बोगी पत्नी बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
9. शकुन्तला पुत्री बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
10. बसकरो पत्नी सुमन खां जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
11. सूर्या पुत्री बिरबल जाति दाढी निवासी जबरासर तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 105 सन 2022 निर्णय दिनांक- 11/03/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सद्युतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा जबरासर के खाता संख्या 224/219 की कुल 11.025 हैक् भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज है में से प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 का नाम कलमजन किया जाकर 4/5 हिस्सा भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के एवं 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)